नाम न्यायालय :- .... बनाम .... वगैरह

केस संख्या :

केस संख्या	दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही
	12/1/2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित, प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी एक प्रति प्रार्थी को दिलाई गई। वादीगण के प्रार्थना पत्र [illegible] बहस हेतु [illegible] दिया जाकर पत्रावली दिनांक 18/1/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	18/1/2021	पत्रावली प्रस्तुत। प.क. उप.। अप्रार्थी अधि. द्वारा T.I. पर अंतिम बहस की गई, वकील प्रार्थी द्वारा बहस हेतु समय चाहा गया। न्यायहित में वकील प्रार्थी को बहस हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाता है। अनुसार पत्रावली वास्ते अंतिम बहस T.I. प्रार्थी दिनांक 21/1/2021 को पेश हो।
	21/1/2021	पत्रावली प्रस्तुत। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर प.क. उप.। अधि. प्रार्थी द्वारा पूर्व में O 6 R 17 बाबत संशोधन पेश किया गया। जबकि अप्रार्थी अधि. द्वारा 18/1/2021 को प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर अंतिम बहस की जा चुकी है। पत्रावली [illegible] अंतिम बहस प्रार्थी 21/1/2021 नियत की गई थी। अंतिम बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:01:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

...ालय ______________________________

______________________ बनाम ______________________

...दमा संख्या /वर्ष : ______________ /20 ______

...ं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		की स्टेज पर O6 R17 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना प्रार्थी की मंशा पर संदेह उत्पन्न करता है। एवं प्रतीत होता है कि वे न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उप० नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त O6 R17 का प्रा.पत्र ट्रायल शुरू होने के पश्चात विशिष्ट परिस्थितियों में ही लाया जा सकता है। एवं प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई कारण उल्लेखित नहीं है। जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रार्थी को प्रार्थनापत्र में हुई त्रुटि का ज्ञान पूर्व में नहीं था। जबकि दिनांक 10/3/2020 को ही प्रार्थी के निवेदन पर ही अंतरिम स्थगन आदेश न्यायालय हाजा द्वारा पारित किया गया था। ना ही अधि. प्रार्थी इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश कर रहे हैं। चूंकि मूलवाद अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है [illegible] प्रार्थनापत्र O6 R17 [illegible] जाता है। हालांकि [illegible] प्रार्थी द्वारा O6 R17 का [illegible]र्थनापत्र लाया जा सकेगा। पत्रावली चूंकि अंतिम बहस हेतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:01:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक ...
आमेर म. जयपुर
Scanned with CamScanner

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		नियत की। अतः अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। इसके अधिवक्ता उत्तरपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तत्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रा. पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जावे शामिल पत्रावली किया जावे, पत्रावली नंबर से कम की जावे दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.23 15:01:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner